तालिका 3.2 सार्वजनिक विचार-विमर्श प्रक्रिया में उठाए गए मामले तथा कम्पनी द्वारा सहमत न्यूनीकरण उपाय

क्रम सं०	मुख्य विषय	उठाए गए विषयों का विस्तृत विवरण	कम्पनी द्वारा सहमत न्यूनीकरण उपाए		
			स्पष्टीकरण	पर्यावरणीय एवं समाजिक प्रभाव मूल्याकंन (ई एस आई ए) रिपोर्ट-दिसम्बर 2003 (विवरण के लिए संदर्भ)	अतिरिक्त संलग्नक (विवरण के लिए)
1	2	3	4	5	6
1	**विद्युत मांग की परस्पर विरोधी प्रक्षेपण**	कुछ ग्रामीण व्यक्ति ई एस आई ए में दिए गए विद्युत की मांग और आपूर्ति के आकड़ों को समझ नही पाए	देश की विद्युत की मांग के बारे में ई एस आई ए में विभिन्न स्त्रोतों को संदर्भित किया गया है, उनमें सम्मिलित है: चौथी राष्ट्रीय विद्युत योजना लेहमेयर इंटरनेशनल की जल विज्ञान की रिपोर्ट के. बि. प्र. की 16वीं ऊर्जा एवं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट	<u>**खण्ड -1**</u> ❑ अनुभाग 1.4,पृ0 5-7	
2	**सार्वजनिक विचार विमर्श एवं प्रकटीकरण योजना (पी सी डी पी)**	यह आरोप लगाया गया है कि परियोजना अधिकारी ग्रामीणों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं।	क. कम्पनी ने एक गहन सार्वजनिक विचार-विर्मश तथा प्रकटीकरण प्रक्रिया अपनाई है तथा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। ❑ परियोजना दस्तावेजों को दोनों हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। ❑ खास समूहों के साथ चर्चा व सार्वजनिक बैठकों का आयोजन स्वतंत्र विशेषज्ञों की [illegible]	<u>**खण्ड - I**</u> ❑ अनुभाग 10.11.1, पृ0 348-349 ❑ अनुभाग 10.21.3, पृ0 382-384	❑ सार्वजनिक प्रकटीकरण घटनाओं के घटनाक्रम के लिए इस रिपोर्ट के भाग 4.2 का संदर्भ ग्रहण करें।

			देख रेख में किया गया) ❑ भागीदारी प्रणाली का प्रयोग करते हुए समुदायिक विकास, अर्थात, विचार-विमर्श के जरिए को प्रोत्साहन, बातचीत द्वारा, स्थानीय समुदायिक विकास योजना को तैयार करना। ❑ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए समाजिक प्रबन्धन यूनिट/सैल, परियोजना कार्यालय में स्थापित किया गया है। ❑ शिकायत निवारण सैल : ग्रामीण परियोजना के निर्माण एंव संचालन चरणों के दौरान किन्ही शिकायतों को उठाने के लिए एक समन्वय समिति का गठन करेंगे। ❑ कम्पनी ने एक शिकायत निवारक सैल का गठन किया है। ❑ कम्पनी द्वारा अपील तंत्र की स्थापना की गई है।	❑ अनुभाग 10.21.4 पृ 384-385	❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III, परिच्छेद** 12 ❑ शिकायत निवारक सैल के गठन के लिए दिनांक 23 मई, 2004 के आदेश की प्रतिलिपि **संलग्नक XI** ❑ स्वतंत्र अपील तंत्र के गठन के दिनांक 24 जुलाई, 2004 के आदेश की प्रतिलिपि, **संलग्नक XII**
3	**निजी**	❑ भूमि की हानि	❑ अधिग्रहण के लिए निजी भूमि 9.01 है॰	**<u>खण्ड - I</u>**	❑ प्रीनि

	भूमि का अधिग्रहण	से ग्रामवासियों के अर्जन के मुख्य स्रोत को हानि होगी ❑ अधिग्रहित भूमि के मुआवजें की राशि तय व उसके भुगतान में देरी होने के कारण, ग्रामीणों ने अधिक मुआवजें के साथ साथ फसल के नुकसान के लिए भी मुआवजें की मांग की है।	है। ❑ अधिकत्तर परिवारों को अपनी कुल भूमि का 25 प्रतिशत से कम भूमि का नुकसान होगा। ❑ भूमि अधिग्रहण के विरूद्व मुआवजा परियोजना प्रभावित लोगों के साथ समझौते की दरों पर देय होगा। ❑ प्रत्येक परिवार से ली जाने वाली औसत भूमि 0.49 बीघा है। अधिग्रहित भूमि के लिए समझौता की गई मुआवजे की दर में बाजार की दर से 357 प्रतिशत अधिक है। प्रीनि गांव में 3 मेगावाट परियोजना के आने पर अधिक मुआवजे के भुगतान के कारण ग्रामीणों के अनुरोध पर कम्पनी अधिक मुआवजा राशि के लिए सहमत हूई। ❑ पुनर्वास कार्यवाही योजना, जिसमें परियोजना प्रभावित लोगों के लिए स्थानांतरणीय भत्ता, पेड़ स्थांनातरण भत्ता, नौकरी वरीयता, आय उत्पादन सुविधा के लिए प्रशिक्षण तथा समुदाय विकास योजना। ❑ पुनर्वास कार्यवाही योजना मे प्रस्तावित प्रक्रियाओं व उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मानिटिरिंग व	❑ अनुभाग 10.5.3, पृ0 330-331 ❑ अनुभाग 10.22, पृ0 385-393 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु सं0 क.1, पृ0 316 ❑ तालिका 10.16, पृ0 393 ❑ अनुभाग 10.53, पृ0330	अनुबन्ध **संलग्नक III, परिच्छेद 1** ❑ **संलग्नक XIII भूमि मूल्य**

			मूल्यांकन (M & E) सैल का प्रावधान ❑ आर ए पी के लिए 50.1 लाख का बजट ❑ भागीदारी शैली का उपयोग करते हुए समूदाय विकास कार्यक्रम ❑ इसके अतिरिक्त, संवेदनशील परिवारों, अर्थात, ऐसे परिवार जो अपनी कुल भूमि का 75 प्रतिशत या उससे अधिक भूमि परियोजना में दे रहें हो, उन्हे उतनी आकार मूल्य तथा गुणवत्ता में बराबर भूमि जितनी वह छोड़ रहे हैं, के बराबर भूमि प्राप्त करने का एक विकल्प दिया जाएगा। कम्पनी, इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग की सहायता मांगेगी।		
4	**सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा नहीं है।**	कुछ ग्रामीण यह सोचते हैं कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है तथा इसलिए ई एस आई ए प्रारूप पूरा नहीं है।	ई आर एम ने जनसंख्या सर्वेक्षण तथा निजी भूमि जिसके लिए धारा 4 के अर्न्तगत अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा वह भूमि जिसके लिए अधिसूचना जारी होने वाली है के आधार पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा कर लिया है। इसी मुद्दे की प्रभाव-आंकलन रिपोर्ट को अंतिम ई.एस.आई.ए रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। विपरीत सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की सभी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए मुआवज़ा ढाचों को डिजाइन किया गया है।	<u>**खण्ड – I**</u> ❑ अनुभाग 10.4 पृष्ठ 325-340	

5	**पुरानी ई आई ए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए**	कुछ ग्रामीण पहली ई आई ए रिपोर्ट को देखना चाहते थे	आर आई टी ई एस द्वारा 1996 में तैयार की गई ई आई ए की पहली रिपोर्ट की प्रतिलिपियां तथा कम्पनी द्वारा 2001 में अद्यतन की गई रिपोर्ट संदर्भ के लिए तथा इच्छुक व्यक्ति के पढ़ने के लिए परियोजना कार्यालय प्रीनि में उपलब्ध हैं।		
6	**विद्युत पारेषण लाइन के मूल्यांकन का प्रभाव**	❑ प्रस्तावित पारेषण लाइन के पूरे प्रभाव का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया है।	प्रीनि में स्विचयार्ड से नालागढ़ तक के पारेषण लाइन के 185 कि.मी. का मार्ग किसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों मे से होकर नहीं गुजरता तथापि, यह आरक्षित खोखन एवं बंदली वनशरण-क्षेत्रों की निवारता से रा0 मा0 21 पर कुछ सड़क क्रासिंगों के साथ साथ राज्य मार्गो तथा 4 से 5 नदियों को पार करके गुजरता है। पारेषण लाइनों के निर्माण में भूमि के उपयोग तथा भूमि उत्पादकता, वनस्पति की हानि, चरने/चारागाह भूमि आदि पारेषण लाइन से होने वाले कुछ संभावित प्रभाव हैं। प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के कारण होने वाले सम्भाव्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के लिए न्यूनीकरण उपायों का ढांचा तैयार कर लिया गया है। जैसा कि पारेषण लाइन के सटीक मार्ग को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पावर ग्रिड	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ भाग 5.0, पृष्ठ सं0 133 से 143 ❑ भाग 7.14 पृष्ठ सं 208-216 तक ❑ भाग 10.19 पृष्ठ 296-302	

			कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूलिंग बिन्दुओं को अतिन्मरूप दिए जाने के बाद, एक विस्तृत ई एस आई ए तैयार की जाएगी।		
7	**पीने तथा सिंचाई के लिए जल**	❑ निर्माण से जगतसुख एवं प्रीनि गांव पर क्रमशः चोर पानी/घानी नाला तथा जमलू देवता/पहाली नाला के पीने के जल स्त्रोंतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ❑ दुहंगन नाले का प्रीनि में स्थित परियोजना के पावर हाऊस में स्थायी रूप से अपवर्तन हो जाने के कारण यहां सिंचाई के जल में कमी हो सकती है।	❑ कम्पनी ने यह आश्वासन दिया है कि परियोजना धानी, पहाली, चोर पानी नाला या जमलू देवता के पीने के जल स्त्रोतों को बाधित नही करेगी। इसे गांव के समुदाय के साथ सयुंक्त रूप से मॉनिटर किया जाएगा। ❑ पीने के जल के स्त्रोतों में किसी बाधा के उत्पन्न होने पर कम्पनी प्रभावित समुदाय को पानी के अन्तर को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त जल उपलब्ध कराएगी। ❑ कम्पनी ने राज्य सरकार को विश्वास दिलाया है कि परियोजना प्रभावित लोगों के नदी तटीय अधिकारों का सम्मान किया जाएगा (**संलग्नक VI** का संदर्भ ग्रहण करें) ❑ निचली धारा के प्रयोग करने वालो के लिए जल के प्रवाह को मॉनिटर करने वाले प्रवाह मापन यंत्रों को स्थापित किया जाएगा। ❑ टाऊन एवं कन्ट्री प्लानिंग विभाग के	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ अनुभाग 7.3.1, पृ 228-232. ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खक. 3, खघ.7, पृ0 317, 319 ❑ अनुभाग 10.17, पृ0 367 एवं 368 ❑ अनुभाग 7.3.2, पृ0 237 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु ङ.1 और ङ.5 ❑ संलग्नक क	❑ **संलग्नक VI** ❑ **संलग्नक VII** ❑ **कार्यान्वयन अनुबन्ध की धारा 5.11 के भाग-3 , संलग्नक VIII**

			दिनांक 17.जून.02 के पत्र के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि ऐलाइन एवं दुहंगन नालों की आवश्यकता 100 ली0 प्रति सैकंड है। ❑ परियोजना द्वारा दुहंगन निकासी डाटा तथा जल आवश्यकता बनाम उपलब्धता ग्राफ परियोजना के निर्माण काल के दौरान के लिए प्रस्तुत किया गया है।(**संलग्नक VII** का संदर्भ ग्रहण करें) ❑ कम्पनी ने यह मान लिया है दुहंगन बैराज से परियोजना द्वारा न्यूनतम निकासी 150 ली0 प्रति सैकंड सुनिश्चित की जाएगी।, यदि आवश्यक हुआ तो यह उत्पादन की लागत पर भी पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दुहंगन की निचली धारा के सहायक नाले 360 ली0 प्रति सैंकड जल को बढ़ाते हैं, इस प्रकार निचली धारा को उपलब्ध कराए जाने वाला जल बढ़कर 510 ली0 प्रति सैकंड हो जाता है।		
8	**वन पर प्रभाव**	परियोजना के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन पर विपरीत प्रभाव होगा।	**क.** वन भूमि के अपवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाए नीचे दिए गए हैः ❑ भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा अनुमोदित प्रतिपूरक वनरोपण किया	**<u>खण्ड-I</u>** ❑ परिशिष्ट क, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) का दिनांक 25.10.	

			जाएगा। ❑ जलागम क्षेत्र उपचार (सी ए टी) योजना जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य वन विभाग द्वारा विस्तृत बजट के साथ अनुमोदित ❑ पर्यावरणीय मूल्य के विरूद्ध हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को दे दी गई है। ❑ सी ए टी योजना के लिए अनुमानित बजट को कवर करने के लिए 39.8 मिलियन रूपए का प्रावधान जिसमें वनारोपण, चारागाह विकास, इंजीनियरिंग उपाय जैसे चैक डैम, स्पर आदि का निर्माण व उनका रख-रखाव शामिल है।	2000 का पत्र ❑ तालिका 10.1 बिन्दु क-2, पृष्ठ 316 ❑ एम ओ ई एफ के दिंनाक 12.12.2000 के पत्र का परिशिष्ट क, भाग क-(I,IV,V) एवं भाग ख-(I,II,VI) ❑ तालिका 10.1 बिन्दु ग.2, पृ0 321 ❑ अनुभाग 10.12 पृ0 355-358 ❑ अनुभाग 10.18 पृ0 369-371	
		ग्रामीण यह महसूस करते हैं कि परियोजना द्वारा गिराए जाने वाले पेड़ों की संख्या में कुछ त्रुटि है।	**ख** : परिवर्तित वन भूमि में, कुल 1,370 पेड़ों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2, 586 पौधों को हटाने के लिए गिना गया है। पौधे वे छोटे पेड़ होते है जिनका व्यास 10 से.मी. से कम होता है। पेड़ों को गिराने का कार्य हिमाचल प्रदेश वन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि पेड़ों को गिराने का कार्य भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा। पेड़ गिराने का कार्य वन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार (जी ओ एच	❑ तालिका 10.15 बिन्दु, घ, ड0, च, पृ0 392 ❑ तालिका 4.27 पृ0 128 ❑ अनुभाग 10.22.2, तालिका 10.14, बिन्दु सं0	❑ हि0 प्र0 सरकार के साथ कार्यान्वयन अनुबन्ध का परिच्छेद 5.24 **संलग्नक-I** ❑ हि0 प्र0 सरकार की जलागम क्षेत्र

		ग्रामीण यह महसूस करते है कि वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे पौधों कें जीवत रहने के उम्मीद अधिक नहीं है।	पी) द्वारा किया जाएगा। **गः** सी ए टी योजना के कार्यान्वयन तथा प्रतिपूरक वनरोपण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त मॉनिटिरिंग समितियां गठित की गई है। कम्पनी सरकार से पेड़ गिराने तथा प्रतिपूरक वनरोपण में स्थानीय भागीदारी के लिए एक प्रावधान सम्मिलित करने के लिए अनुरोध करेगी। **घः** कम्पनी अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ाना देने के लिए, स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय वनीकरण गतिविधियों के लिए निजी नर्सरी विकसित करने में साथ देगी व परस्पर सहमत क्षेत्रों में पौधे लगाने का कार्य किया जाएगा	4, पृ0 389.	उपचार योजना, की मानिटियरिंग के लिए वन समिति की अधिसूचना, **संलग्नक – II**
9	**वायु की गुणवत्ता**	परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए डी जी सैटों के प्रयोग से प्रदूषण हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप वायू मे SO_X तथा NO_x के अस्थगित कणों की संख्या सामान्य मात्रा सें अधिक हो सकती है।	☐ वायु प्रदुषण नगण्य होगा क्योंकि कम्पनी द्वारा डी जी सैटों का प्रयोग केवल निर्माण चरण के दौरान, तभी किया जाएगा जब राज्य ग्रिड से सामान्य विद्युत न उपलब्ध हो। ☐ हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण बचाव एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एच पी एस ई पी पी सी बी द्वारा विनिर्दिष्ट सभी मानकों को डी.जी. सैटों पर सुनिश्चित किया	<u>**खण्ड – I**</u> ☐ अनुभाग 3.6.1, पृ0 69-70. ☐ तालिका 10.1, बिन्दु सं0 खख, खघ.4, खघ.9, खघ.10, खघ.11 खघ.12, पृ0 317, 319, 320 ☐ तालिका 10.14, बिन्दु सं0	☐ बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद 21**

			जाएगा (उत्कर्षण मानको सहित) ❑ ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के लिए मफलरस तथा ध्वानिकता के लिए डिजाइन किए गए बाड़ों का प्रयोग किया जाएगा।	1, पृ0 388 ❑ तालिका 10.15, भाग क:बिन्दु सं0 3 और 4, भाग ग अथवा डी, पृ0 391-392	
10	**श्रमिकों के लिए ईधन की लकड़ी**	विस्थापित प्रवासी मजदुर गैर-कानूनी ढंग से पेड़ों को काटकर उनकी टहनियों को ईधन की लकड़ी के रूप में प्रयोग में ला सकतें है।	❑ ठेकों में यह शर्त होगी कि ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगें कि मजदुरों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा। ❑ श्रमिको द्वारा मूल ईधन के रूप में मिट्टी के तेल और एल.पी.जी के प्रयोग का प्रावधान किया जाएगा। यह ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी और इसे ठेके की शर्तो में जोड़ा जाएगा। ❑ ईधंन की लकड़ी का प्रयोग दूसरा विकल्प हो। इसे राज्य वन विभाग द्वारा संसाधित किया जाएगा तथा इसकी प्राप्ति तथा वितरण का रिकार्ड ठेकेदार द्वारा रखा जाएगा। ❑ सभी ठेकेदारों को ठेकें के प्रावधानों के माध्यम से कम्पनी के पर्यावरणीय, जिनमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों ईंधन लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-कानूनी ढंग से पेड़ों को न गिराने के बारे में शर्त शामिल है, क्रियान्वयन को	**खण्ड - I** ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खक 4, पृ0 317 ❑ अनुभाग 10.13, पृ0 358-361 ❑ अनुभाग 10.18.2 पृ0 370-371 ❑ तालिका 10.15, बिन्दु छ , पृ0 392	